

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार (अनु-4/निरीक्षण) विभाग

क्रमांक : प.5(5)प्र.सु./अनु-4/2006

जयपुर, दिनांक 20.10.2015

--: परिपत्र :-

**विषय:—राजकीय कार्यालयों में समय की पाबंदी एवं कार्य व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण के संबंध में दिशा निर्देश।**

सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों/स्वायत्तशाषी संस्थाओ/निगमो बोर्डों आदि एवं विभिन्न योजनाओ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति/कार्य व्यवस्था का समुचित निष्पादन आदि का नियमित/आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु पूर्व में दिशा निर्देश जारी किये गये है।

प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11 मार्च, 2015 को पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 05.12.2006 एवं 20.08.2010 की निरन्तरता में मानते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति/कार्य-व्यवस्था का समुचित निष्पादन आदि सुनिश्चित करें।

समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण प्रक्रिया में सम्बंधित कार्यालय के परिसर के प्रवेश द्वार को प्रातः 09.40 बजे बन्द कर दिया जावे। तत्पश्चात अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर्ज की जावे।

उपरोक्त निर्देशों के संबंध में अविलम्ब अपने स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश समस्त सम्बंधित अधिकारियों को जारी कर इसकी पालना सुनिश्चित करावें।

(ललित प्रकाश पारीक)  
वरिष्ठ शासन उप सचिव

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. सचिव, मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक, माननीय समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिववालय, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान सिविल सेवा अपिल अधिकरण, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम्प योजना भवन, जयपुर को प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ललित प्रकाश पारीक)  
वरिष्ठ उप शासन सचिव

**प्रतिलिपि निम्नांकित को परिपत्र की प्रति अपने अधीन विभाग के सभी स्तर के कार्यालयों को भिजवाया जाना सुनिश्चित कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. समस्त अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी/सचिव/निबंधक, समस्त निगम/बोर्ड/स्वायत्तशाषी संस्थाएँ, एवं समस्त विधुत वितरण/प्रसारण निगम, राजस्थान।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
3. समस्त सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।

(धर्मेन्द्र कुमार मीणा)  
उप शासन सचिव